न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 09 / 2021

1 जोगेन्द्रीवाई पत्नी कश्मीरसिंह पुत्री डोगर सिंह जाति रायसिक्ख निवासी सहसन हाल निवासी वमनवाडी तहसील पहाडी जिला भरतपुर ।

2 लाडोबाई पत्नी बलवीर सिंह पुत्री डोगर सिंह जाति रायसिक्ख निवासी सहसन हाल निवासी जैन मंदिर के पास तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर।

......प्रार्थीयान

बनाम

बचनसिंह पुत्र डोगर सिंह जाति रायसिक्ख निवासी सहसन हाल निवासी वमनवाडी तहसील पहाडी जिला भरतपुर

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरूद्व उपखण्ड अधिकारी पहाडी श्री संजय गोयल वमुकदमा जोगेन्द्रीवाई बनाम बचन सिंह वगै0 मु0न0 134 / 2019

निर्णय **दिनांक: 05.10.2021**

यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिली प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी व खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी श्री संजय गोयल के पेश किया गया है। प्रार्थी ने कथन किया है कि जो संक्षेप इस प्रकार हैं कि एक उनवानी प्रकरण जोगेन्द्रीवाई बनाम बचन सिंह वगै0 उपखण्ड अधिकारी पहाडी के यहां विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी श्री सजंय गोयल से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण दावा को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलवी की गई तथा उपखण्ड अधिकारी पहाडी से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी पहाडी से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई।

पक्षकारान उभय पक्ष को सुना गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी द्वारा तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का कथन है कि पक्षकारन के मध्य एक दावा उपखण्ड अधिकारी पहाडी के न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें अप्रार्थी द्वारा आर्डर 7 रूल 11 का प्रार्थना प्रस्तुत किया हुआ है। इसके बाद भी पीठासीन अधिकारी उक्त दावे में नजदीक तारीख

.........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

पेशी नियत कर रहे है और प्रार्थी को ऐसी आशंका है कि पीठासीन अधिकारी इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर प्रार्थी के दावे को खारिज करना चाह रहे है। दिनांक 20.02.2021 को अप्रार्थी ने धमकी भी दी की एसडीओ साहब से हमारी बात हो गई है वें अगली तारीख पेशी पर इस प्रकरण का उनके हक में फैसला कर देगें। इस कारण हमें पीठासीन अधिकारी श्री संजय गोयल उपखण्ड अधिकारी पहाडी से कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी पहाडी के न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण को किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध वकील प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में किया गया।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्को में जाहिर किया है कि एक दावा संख्या 134/2019 जोगेन्द्रीबाई बनाम बचन सिंह वगै0 उपखण्ड अधिकारी पहाडी के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें जोगेन्द्रीवाई ने एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में एकपक्षीय स्थगन आदेश होने से वें प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहते और प्रकरण को अनावश्यक रूप से जानबूझकर लम्बित करना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी पर लगाये गये आरोप निराधार है। मात्र प्रकरण में स्थगन आदेश होने से यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो निराधार है। वकील अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को खारिज करने का अपनी बहस में निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर करते हुए उपखण्ड अधिकारी पहाडी से प्राप्त टिप्पणी पर मनन किया। स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी पहाडी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण जोगेन्द्रीवाई बनाम वचन सिंह में प्रार्थीगण द्वारा एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है। जिसकी आड में प्रार्थीगण की उक्त प्रकरण को लम्बित करने की मंशा प्रतीत होती है। इसके अलावा प्रार्थीगण ने अपने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में उपखण्ड अधिकारी पहाडी के विरूद्व लगाये गये आरोपों के सबंध में कोई ठोस साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं किये गये है और ना ही अपनी बहस में आरोपों को सिद्व कर सके है। प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य पाते है।

अतः आज्ञा है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी पहाडी को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर